

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर


क्रमांक: प.8(ड)( )विधि/मनो./डीएलबी/16/12330

दिनांक: 18/11/16

संशोधित अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ड)( )विधि/मनो./डीएलबी/16/1191  
दिनांक 02.11.16 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 5  
के कॉलम संख्या 3 में अंकित क्रम संख्या 5 पर मनोनीत किये गये सदस्य श्री  
रजत खत्री का नाम विलोपित किया जाता है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)( )विधि/मनो./डीएलबी/16/12331-12344 दिनांक: 18/11/16  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान,  
सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
06. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर।
07. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर  
को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में  
प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
10. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी